न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 03/2024 G.C.M.S. No. 2024/39 दर्ज दिनांक : 11.01.2024

अपीलार्थिगण:

1. लक्ष्मी चौधरी पुत्री श्री मंगलारामजी जाति सीरवी निवासी ग्राम रायपुर, तहसील रायपुर जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. लादूराम पुत्र सुराराम
2. रमेशकुमार पुत्र भंवरलाल जरिये कुदरती वली माता श्रीमती केलीदेवी
3. श्रीमती केलीदेवी पत्नी स्व. भंवरलाल
4. लूम्बाराम पुत्र केसाराम
5. गलकाई पत्नी केसाराम
6. पानीदेवी पुत्री सुराराम पत्नी मांगीलाल
7. मीरादेवी पुत्री सुराराम पत्नी अमराराम
8. पीथाराम पुत्र नारायणलाल जरिये कुदरती वली माता सीतादेवी
9. राकेश पुत्र नारायणलाल जरिये कुदरती वली माता सीतादेवी
10. सीतादेवी पत्नी नारायण तमाम जातियान सीरवी निवासी ग्राम रायपुर, तहसील रायपुर जिला ब्यावर।
11. श्रीमान तहसीलदार भूमिधारक रायपुर तहसील रायपुर जिला ब्यावर।
12. श्रीमान उपपंजीयन महोदय रायपुर तहसील रायपुर जिला ब्यावर।
13. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 21/2020 द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2024

उपस्थितः–

1. श्री गजेन्द्र दवे, श्री भगवती प्रसाद चौहान, श्री सुनील दवे, श्री अर्जुन चौहान, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री नारायणलाल कुमावत, श्री भरतसिंह चौहान, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 30.04.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 21/2020 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.01.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लादूराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी रायपुर के न्यायालय में एक वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा ग्राम रायपुर पटवार क्षेत्र रायपुर प्रथम भू.अभि.नि. रायपुर में खसरा संख्या 738/5 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 738/7 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

खसरा संख्या 744/10 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा की कृषि भूमि आई हुई स्थित है, के संबंध में बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है क्योंकि अपीलांट के पिता द्वारा अपने जबावदावे में यह तथ्य उजागर कर दिये थें कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का पूर्व में आपसी सहमति से मौके पर बंटवाडा किया जाकर सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है जिस बंटवाड़े के अनुसार खसरा संख्या 744/10 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा कृषि भूमि अपीलांट के पिता को सुपुर्द की गई जिसके पश्चात् खसरा संख्या 744/10 की कृषि भूमि में रेस्पोडेन्टगण का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा निहित नही है और न ही खसरा संख्या 744/10 व रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त आया हुआ स्थित है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों को नजरअंदाज कर अपीलांट के विरूद्ध पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की हैं। अपीलांट के प्रिसिंपल विक्रेता मंगलारामजी के द्वारा दिनांक 07/12/2022 को जबाव दावा मय प्रतिदावा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस जबाव दावे मे वादी के तथ्यों का पूर्णरूप से खण्डन करते हुये पूर्व मे हुये मौखिक बंटवाड़े का नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया साथ ही खसरा संख्या 744/10 की भूमि पर मंगलारामजी का कब्जा काश्त आया हुआ स्थित है जिसके अनुसार बंटवाड़ा करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया, जिस जबाव दावा व प्रतिदावे के आधार तनकीयात विरचित की जानी चाहिये थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात विरचित किये, बिना साक्ष्य पत्रावली पर लिये तथा बिना दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाये बिना गुणावगुण निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की हैं। दिनांक 23/08/2023 को वादी के अधिवक्ता द्वारा वादी का वाद नोटप्रेस कर दिया गया जिसका अंकन आदेशिकाओं में बखूबी है। एक बार वाद नोटप्रेस कर दिये जाने के पश्चात् वाद को पुनः रेस्टोर किये जाने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून को ताक पर रखते हुये नोटप्रेस किये हुये वाद का पुनः सेवन से त्रुटि का होना बताते हुये रेस्टोर कर दिया जिसे करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नही हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी मनमर्जी अनुसार बिना पक्षकारो की सहमति लिये या पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बिना सहमति लिये ही दिनांक 11/12/2023 को प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने का आदेश पारित कर दिया जबकि दिनांक 11/12/2023 की आदेशिका मे सहमतिस्वरूप किसी भी पक्षकार के या पक्षकार के अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर मौजूद नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

है जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी मनमर्जी अनुसार अपीलांट की बिना सहमति व स्वीकृति प्राप्त किये मनमर्जी अनुसार उक्त प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक को पारित की हैं। साथ ही प्राथमिक डिक्री व निर्णय के अनुसार पटवारी हल्का द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 26/12/2023 को तैयार किया गया जो विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना तैयार किया गया क्योंकि अपीलांट को बिना सुनवाई का अधिकार प्रदान किये बिल्कुल गलत व विधिविरूद्ध तरीके से खसरा संख्या 744/10 सभी खातेदारान मे विभाजित कर दी जबकि खसरा संख्या 744/10 पर एकमात्र कब्जा अपीलांट का ही आया हुआ स्थित है। अपीलांट के द्वारा दिनांक 04/01/2024 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत किया जिस प्रार्थना पत्र पर वादी के अधिवक्ता द्वारा आपति नही किये जाने पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट को प्रतिवादी संख्या 1 मंगलाराम पुत्र सूराराम के स्थान पर पक्षकार संयोजित किये जाने का आदेश प्रदान किया गया तथा यह आदेश दिया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 मंगलाराम के आगे कोष्ठक में अपीलांट का नाम अंकित किया जावें, उसी दिन दिनांक 04/01/2024 को वादी के अधिवक्ता द्वारा संशोधित शीर्षक पेश कर दिया और उसी दिन दिनांक 04/01/2024 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी जबकि अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के पश्चात् अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना तथा अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अधिकार दिये अपनी मनमर्जी अनुसार सहमति अंकित कर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी जबकि दिनांक 04/01/2024 की आदेशिका में अपीलांट के अधिवक्ता या अपीलांट के बतौर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर मौजूद नहीं हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रावधानों की अवहेलना कर उक्त निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमने प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट के पूर्ववर्ती मंगलाराम एवं दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के बंटवाड़ें व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.12.2023 को प्राथमिक डिक्री किया गया तथा दिनांक 04.01.2024 को अंतिम डिक्री किया गया। अपीलांट द्वारा अंतिम डिक्री व निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई हैं।

2. अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना किए बगैर तथा अपीलांट को सुने बिना विधिविरूद्ध तरीके से खसरा संख्या 744/10 सभी खातेदारान में विभाजित कर दी। जबकि खसरा संख्या 744/10 पर एकमात्र कब्जा अपीलांट का है। दिनांक 04.01.2024 को अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है। जिसे उसी दिन स्वीकार किया जाकर अपीलांट को प्रतिवादी संख्या 1 मंगलाराम के स्थान पर पक्षकार संयोजित किया गया। लेकिन अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना दिनांक 04.01.2024 को ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई। जबकि उक्त दिनांक को अपीलांट या उसके अधिवक्ता द्वारा कोई सहमति नहीं दी गई तथा न ही इस बाबत कोई हस्ताक्षर किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2023 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई। जिसकी पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 26.12.2023 को विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। जिसके अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रभावित सहखातेदारान को मौके पर उपस्थित रहने बाबत कोई नोटिस जारी नहीं किए गए। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट या अपीलांट के पूर्ववर्ती खातेदार मंगलाराम के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा न ही उपस्थिति के बावजूद हस्ताक्षर करने से इंकार बाबत कोई टिप्पणी अंकित है। साथ ही कथित विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 के आज्ञापक प्रावधानों की अनुपालना भी नहीं की गई हैं। अतः इस संबंध में अपीलांट का उज्र स्वीकार योग्य है।

4. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 04.01.2024 को अपीलांट को प्रतिवादी मंगलाराम के स्थान पर पक्षकार संयोजित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है तथा इसी दिनांक को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। आदेशिका पर अपीलांट या अधिवक्ता अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के संबंध में अपीलांट की ओर से कोई सहमति प्रदान नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विभाजन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने या अपना पक्ष रखने के लिए कोई अवसर नहीं दिया गया। अतः उक्त उज्र भी स्वीकार योग्य है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से पुष्टियोग्य नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 21/2020 द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करवाते हुए सभी सहखातेदारान को सूचित करते हुए प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में पुनः मौके पर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 03.06.2025 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर रायपुर में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.04.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner